

भरतपुर संभाग, भरतपुर

18/7/23

आज यह पत्रवली वकील अपील-2 के प्राप्ति पर दिनांक 18/7/23 को अपील विद्वां किये जाने पर पेश हुई। वकील अपील-2 श्री विजयसिंह कुन्तल द्वारा उपस्थित होकर प्राप्ति प्राप्त कर कथन किया कि इस प्रकरण में पदावली में आपसी रजिनामा हो चुका है। अब इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते और इसी स्तर पर विद्वां करना चाहते हैं। अपने कथनों की तारीख में वकील अपील-2 द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर और करते हुए अपील विद्वां किये पर अपनी स्वीकृति जारी की गई। चूंकि स्वयं अपीलान्त्य समझें ही और से उनके वकील श्री विजयसिंह कुन्तल A.W. द्वारा प्राप्ति पेश कर अपील आगे नहीं चलाने और इसी स्तर पर विद्वां किये जाने की मंशा जारी की है। वे अब ऐसी स्थिति में इस अपील को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। तद्विषय यह अपील स्वयं अपील-2 के आगे नहीं चलाने के कारण इसी स्तर पर रूपा भी जाती है। पत्रवली केवल शुभ्रा भी जाकर वाद शरीर वास्तविक रूपता भी जावे।

(Handwritten signature)
 (विजयसिंह कुन्तल)
 वकील अपील-2

90x/11.8.23
 से न.प. बयाना
 की पत्रा. वापस।

18/7/23
 संभागीय आयुक्त
 भरतपुर संभाग, भरतपुर